IS 15700 : 2005

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(सहकारिता अनुभाग)

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ–226 001

Website : http:\\www.upavp.com, E-mail : upavp@sanchamet.in

सेवोत्तम प्रमाणित

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 SQMS

नोटिस

मिर्जापुर मण्डल की निबन्धित कतिपय सहकारी आवास समितियाँ जो काफी समय से निष्क्रिय हैं, उनके निबंधित पते पर न तो कोई पदाधिकारी मिलता है, न ही वहाँ पर कार्यालय होने का कोई प्रमाण ही मिलता है। ये समितियाँ अपने वार्षिक नक्शे, भूमि क्रय विक्रय, आडिट रिपोर्ट एवं अन्य सूचनाएं भी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं कर रहीं है। सहकारी अधिकारी (आवास) इलाहाबाद/वाराणसी द्वारा इन समितियों का निरीक्षण किया गया, जिसमें ये समितियाँ निष्क्रिय पायी गयीं हैं तथा ये समितियाँ उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम एवं नियमों में वर्णित अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है।

अतः मैं डी0के0 शुक्ल अपर आवास आयुक्त/अपर निबन्धक उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ शासन की अधिसूचना संख्या 771/12सी–1–89–7(8)/1976 दिनांक 10.08.89 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 26.11.2010 द्वारा प्रदत्त निबन्धक के अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा–72(2)(ग)(घ) के अधीन सपठित उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम 270 के अन्तर्गत आदेश देता हूँ कि सहकारी आवास समितियाँ अपना पूर्ण विवरण यथा निबन्धित पता, वर्तमान पता, प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों क नाम, सचिव का नाम, भूमि क्रय–विक्रय सम्बन्धी विवरण सन्तुलन पत्र अन्तिम आडिट नोट का विवरण आदि नोटिस प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित अवधि में समिति अपना सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत नहीं करती है तो उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 72(2)(ग)(घ) के अधीन सपठित उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम 270 के अन्तर्गत उनके समापन की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी तथा धारा–76 के अन्तर्गत निबन्धन निरस्त कर दिया जायेगा।

क्रमांक	नाम सहकारी आवास समिति	निबन्धन संख्या/दिनांक
1.	प्रगतिशील सहकारी गृह निर्माण समिति लि0, मिर्जापुर	2053/26.02.1967
2.	रैन बसेरा सहकारी आवास समिति लि0, मिर्जापुर	3262/10.03.2004

डी0के0 शुक्ल

अपर आवास आयुक्त/अपर निबन्धक